संख्या-9/2015/66 बीपी /35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज अधीन वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-720(1)/35-1-2015 दिनांक 30 मई, 2011 के माध्यम से वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रू.691.50 करोड की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 320.00 करोड अवमुक्त की गई थी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। एतद्द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू 278.96 करोड़ (रूपये दो सौ अठहत्तर करोड़ छियान्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यापाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- सदंर्भित शासनादेश दिनांक 30 मई, 2011 की शर्ते यथावतय लागू रहेंगी।

2- अवमुक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था-मण्डी परिषद के पी.एल.ए. में रखी जायेगी। धनराशि का आहरण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग बिलम्बतम दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्यो को मानको के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनगत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-76-वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। धनराशि आदेश संख्या-यू.ओ. 06बीके/35-1-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-5-480(1)/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या– 9/2015/66बीपी (1)/35-1-2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
5- निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।